राजेन्द्र कुमार बनाम ग्रामपंचायत [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील निगरानी नं. 14/2011	
30-11-22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] फरीकैन उप./[illegible] अधिकारी [illegible] में [illegible]/नोटिस [illegible] है। [illegible] हो दिनांक 15-12-22 को पेश हो। [signature]	
05.01.2023	दिनांक 15.12.2022 को इकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील अपीलान्ट ने अवगत कराया कि प्रकरण में सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत थोई द्वारा चाही गई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तथा प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित अधिवक्तागण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति प्रदान की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस उपरान्त वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावें। प्रकरण में निर्णय सुनाये जाने के उपरान्त वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 4 की ओर से प्रारम्भिक आपत्तियॉ पेश की गई। जिसका निस्तारण मूल निर्णय में किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर(सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.30 15:51:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
14 / 2011	2011 / 0369	12.10.20	05.01.2023

उनवान प्रकरण

राजेन्द्र कुमार पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

––प्रार्थी / अपीलान्ट––

बनाम

1. ग्राम पंचायत थोई जरिए सरपंच ग्राम पंचायत थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. पटवारी, पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।
3. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।
4. आंची देवी पत्नि नागरमल जाति महाजन निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

––रेस्पोडेन्ट्स––

5. मिस्ता देवी पुत्री नागरमल
6. बुलबुल देवी पुत्री नागरमल

समस्त जाति महाजन निवासीगण थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स–

उपस्थित :–

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 प्रार्थी / अपीलान्ट अभिभाषक।

श्री भँवर सिंह एंव श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 रेस्पो0 संख्या 4 अभिभाषक।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.20 15:51:08 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 30.06.1976 स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत थोई पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक अपील नामान्तकरण खिलाफ रेस्पोडेण्टस् के इस आशय से प्रस्तुत की है कि ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के पुराने भूमि खसरा नम्बर 864 रकबा 10 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 844, 848, 849 कुल किता 3 कुल रकबा 0.22 है0 अवस्थित तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में हैं। उक्त वर्णित भूमि का ग्राम पंचायत थोई ने दिनांक 30.06.1976 को मृत्तक मेवा देवी (माता अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 व 6) का नामान्तकरण साजकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 के नाम खोल दिया, जो कि कतई गलत एवं अवैधानिक है। जबकि वास्तविक रूप से मेवा देवी के फौत होने पर उनके कानूनी वारिस उनके पुत्र/पुत्रिया अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस नम्बर 5 ता 6 है। इनके अलावा मृत्तक मेवा देवी का कोई कानूनी उत्तराधिकारी एवं वारिस नही है। जबकि मृत्तक मेवा देवी का कोई नामान्तकरण अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस नम्बर 5 ता 6 के नाम कानूनन होना चाहिये था। उक्त नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 30.06.1976 कतई गलत रूप से अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस नम्बर 5 ता 6 के हक अधिकारो का हनन करते हुये भरे गया है, जो प्रारम्भ से ही कतई शून्य व अवैध है। यहां यह उल्लेख किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 30.06.1976 को अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस नम्बर 5 ता 6 की विरासत को खत्म करते हुये गलत रूप से भरे होने के कारण इसके पश्चात की समस्त कार्यवाही पूर्णतया अवैधानिक है। जिससे रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 एवं अन्य को कोई हक अधिकार अर्जित नही होते है। अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस नम्बर 5 ता 6 मृत्तक मेवा देवी की जायन्दा पुत्र/पुत्री संतान [illegible] बराबर का उक्त भूमियो मे हक हिस्सा जन्म के साथ [illegible] नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 30.06.1976 प्रारम्भ [illegible] निरस्त किये जाने योग्य है। यहां यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.20 15:51:08 IST
Reason: SelfAttested

05/01/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उल्लेख किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 के पति नागरमल तत्कालीन समय मे ग्राम पंचायत धोई के सरपच थे। इसलिये इन्होने अपने पद का दुरूपयोग करते हुये मृत्तक मेवा देवी का नामान्तकरण अपनी दूसरी पत्नि रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 के हक मे गलत रूप से भरवा लिया। जिसका उन्हे कोई हक अधिकार किसी किस्म का नही था, ना ही दूसरी पत्नी प्रथम पत्नी की कानूनी वारिस है। विवादग्रस्त भूमियो का भरवाया गया व तत्कालीन ग्राम पंचायत धोई द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 30.06.1976 कतई अवैध, शून्य व निष्प्रभावी व डमुकाबले अपीलान्ट एवं तस्तीबी रेस्पोडेन्टस नम्बर 5 ता 6 कलअदम व बेअसर है, जिसके पश्चात होने वाली समस्त प्रकिया भी स्वत: ही निष्प्रभावी है। जिनसे रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 का कोई विधिक हक अधिकार अपीलान्ट एवं तस्तीबी रेस्पोडेन्टस नम्बर 5 ता 6 के हक हिस्से बाबत किसी भी प्रकार से ना तो उत्पन्न हुये हैं, ना ही कानूनन हो सकते है। उक्त अवैध एव फर्जी कार्यवाहियों के दौरान भरा गया एवं तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 404 अपीलान्ट एवं तस्तीबी रेस्पोडेन्टस नम्बर 5 ता 6 के कानूनी हक अधिकार बाबत इस अवैध व फर्जी नामान्तकरण के बाद होने वाले सभी संव्यवहार एवं दस्तावेज निरस्त किये जाने योग्य है। विवादग्रस्त भूमिया अपीलान्ट एवं तस्तीबी रेस्पोडेन्टस नम्बर 5 ता 6 जो कि मृत्तक मेवा देवी के कानूनी वारिस होने के इनका ही हक अधिकार था। इसलिये इनके कानूनी हक अधिकार बाबत उक्त नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 30.06.1976 खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विवादग्रस्त नामान्तकरण को भरते व तस्दीक करते समय ग्राम पंचायत द्वारा मृत्तक मेवा देवी के वारिसान बाबत कोई तथ्यात्मक किसी भी प्रकार की जाचं आदि नहीं की गई, ना ही कोई सूचना दी गई, ना ही अपीलान्ट एवं तस्तीबी रेस्पोडेन्टस नम्बर 5 ता 6 को सुना गया। ग्राम पंचायत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा बाला-बाला रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 से मिलकर उन्हे अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 के पक्ष मे अपने पदीय कर्तव्यो का अनुचित लाभ उठाते हुये उक्त गलत एवं अवैध नामान्तकरण तस्दीक करने की अवैध कार्यवाही की है। इसलिये उक्त अवैध नामान्तकरण तस्दीक किया गया उक्त नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 30.06.1976 निरस्त किये जाने योग्य है तथा इसके फलस्वरूप आगामी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.20 15:51:08 IST
Reason: SelfAttested

19/01/23

समस्त प्रकिया स्वतः ही निष्प्रभावी एवं शून्य हैं। विवादग्रस्त नामान्तकरण को भरते समय व तस्दीक करते समय अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस नम्बर 5 ता 6 मृत्तक मेवा देवी एकमात्र कानूनी वारिस होकर उक्त विवादग्रस्त भूमियों में उनका हक हिस्सा निहित होने के तथ्य को नजर अंदाज किया गया है। इसलिये भी उक्त नामान्तकरण निरस्त होकर खारिज होने योग्य है। तत्कालीन ग्राम पंचायत ने कोई जांच नहीं कर मनमाने रूप से नामान्तकरण तस्दीक करने में भारी भूल की है। ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 30.6.1976 अपास्त किया जाकर निरस्त किये जाने योग्य हैं तथा मृत्तक मेवा देवी की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस नम्बर 5 ता 6 के नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिये यह अपील पेश करना आवश्यक हुआ हैं। अपीलान्ट को विवादित भूमि से स्वयं व तरतीबी रेस्पोडेन्टस नम्बर 5 ता 6 का नाम खातेदारी मे दर्ज नहीं होने की जानकारी कभी भी नहीं थी ना ही इस बाबत जानकारी करने की कभी कोई आवश्यकता ही पडी। चूंकि रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 4 ने अपीलान्ट के उक्त भूमि के शांतिपूर्वक कब्जे [illegible] में कभी कोई मुजाहमत या व्यवधान पैदा नहीं किया परन्तु अब अपीलान्ट ने अपनी भूमि को विकसित करने के लिये तहसील कार्यालय में आकर पुराने रिकार्ड की समस्त नकले निकलवाने हेतु दिनांक 16.9.2011 को आवेदन किया। जिस पर दिनांक 19.9.2011 को नकले मिलने पर उक्त अवैध नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 30.06.1976 की सर्वप्रथम जानकारी हुयी हैं। इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त अवैध एवं नुमाईशी नामान्तकरण की जानकारी कभी नही थी। इसलिये अपीलान्ट को उक्त अपील पेश करना आवश्यक हुआ हैं, जो अन्दर मियाद पेश हैं। फिर भी चूंकि प्रकरण प्रार्थी/अपीलान्ट की पैत्रिक अधिकारों की कृषि भूमि से सम्बन्धित हैं। अतः मियाद के लिये अपीलान्ट की और से धारा 5 अवधि अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा हैं। तरतीबी रेस्पोंडेन्टस नम्बर 5 ता 6 का उक्त विवादित भूमियों में हक हिस्सा निहित हैं [illegible] नही होने से इन्हे तरतीबी रेस्पोडेन्टस बनाया गया हैं। अतः [illegible] है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या [illegible] 6 ग्राम पंचायत थोई पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला [illegible] किया जाकर निरस्त फरमाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.20 15:51:08 IST
Reason: SelfAttested

05/01/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जावे तथा पारिणामिक असर स्वरूप उक्त नामान्तकरण के पश्चात होने वाले समस्त संव्यवहार, दस्तावेजात अवैध व शून्य करार देते हुये भूमि खसरा नम्बर पुराना 864 रकबा 10 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 844, 848, 849 कुल किता 3 कुल रकबा 0.22 हैक्टर अवस्थित तन् राजस्व ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में मृत्तक मेवा देवी की खातेदारी विरासतन अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 व 6 के नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन अपीलान्ट द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में की गई है।

इस पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर रेस्पोडेण्टस संख्या 1 लगायत 3 की तामील सम्यक तरीके से एंव रेस्पोडेण्ट संख्या 5 व 6 की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर रेस्पोडेण्टस संख्या 1 लगायत 3, 5 व 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से श्री भंवर सिंह एड0 एंव श्री कमल कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में वकील अपीलान्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 का पेश कर स्वीकार होने पर वकील अपीलान्ट ने संशोधित अपील नामान्तकरण पेश की। प्रकरण अपील में दर्ज तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली जाने हेतु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को जरिये पत्रांक 2029–30/रीडर/22 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा लिखा गया। परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा कोई जॉच रिपोर्ट पेश नही की गई। प्रकरण में वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्टस् संख्या 1 लगायत 3, 5 व 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने व रेस्पोडेण्ट संख्या 4 की ओर से अधिवक्तागणों के हाजिर अदालत आ जाने से तथा सरपंच ग्राम पंचायत थोई के द्वारा वस्तुस्थिति की जॉच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में बहस सुनी जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर [illegible] सहमति व्यक्त की। जिस पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.20 15:51:08 IST
Reason: SelfAttested

05/01/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रकरण में बहस सुनी जाने के उपरान्त उसी दिन वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के द्वारा एक प्रारम्भिक आपत्ति कुल 8 बिन्दुओं की आपत्ति प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मेवा देवी के पति नागरमल जो अपील प्रस्तुतीकरण के समय जीवित था को अपील में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया जाना, नागरमल की मृत्यु उपरान्त उसके विधिक वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया जाना, मृत्तक मेवा देवी के किस दस्तावेज के जमीन का हक अधिकार मिलने, मेवा देवी के नाम नामान्तरण कब व कैसे खोले जाने, नामान्तकरण की 35 साल बाद अपील पेश किया जाना, अपील को शुद्ध हस्त से पेश नहीं कर रेस्पोडेण्ट को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किये जाने तथा मौके पर बीएसएनएल ऑफिस व व्यावसायिक दुकाने संचालित हो जाने से अपील पोषणीय नहीं होना अपनी बहस में अवगत कराया।

जिसका वकील अपीलान्ट ने प्रत्युत्तर पेश नहीं कर सीधे ही बहस में वकील अपीलान्ट ने अवगत कराया कि नागरमल के नाम उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज रिकार्ड नहीं होने से नागरमल को पक्षकार नहीं बनाया गया है एंव नागरमल के फौत होने पर नागरमल के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड नहीं होने से उसके वारिसान् को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। मेवा देवी के नाम नामान्तकरण कब व कैसे खुला, मेवा देवी की मृत्यु कब हुई, किस दस्तावेजात् से जमीन उसके हक हिस्से एंव अधिकार में आई इस सम्बन्ध में नामान्तकरण अपील में स्पष्ट अंकन किया जाना कतई आवश्यक नहीं है। नामान्तकरण तस्दीक के करीब 35 वर्ष बाद अपील पेश करते समय ही अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर विलम्ब को न्यायहित में क्षमा किये जाने का निवेदन किया जा चुका है। मौका स्थिति पर वर्तमान में मौके पर बीएसएनएल ऑफिस व व्यावसायिक दुकाने संचालित हो जाने से अपील पोषणीय होने या नहीं होने का कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.20 15:51:08 IST
Reason: SelfAttested

05/01/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तथाकथित विवादित नामान्तकरण सरपंच ग्राम पंचायत से सम्बन्धित होने से पोषणीय होकर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष शुद्ध हस्त से आना वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अवगत कराते हुए वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति को खारिज किये जाने का निवेदन वकील अपीलान्ट द्वारा किया गया है।

प्रारम्भिक आपत्ति की बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी जाने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सरपंच, ग्राम पंचायत थोई द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 30.06.1976 के विरूद्ध इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार होने से इस न्यायालय में पेश किया जाना तथा अपील 35 वर्ष पश्चात् पेश की जाने पर अपील के संलग्न अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम का पेश कर विलम्ब को न्यायहित में क्षमा किये जाने बाबत पेश किया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जहाँ तक नागर मल व उसके वारिसान् को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में तत्समय वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी नागरमल के नाम नहीं होकर नागरमल की प्रथम पत्नी मेवा देवी के नाम दर्ज रिकार्ड होने तथा मेवा देवी की मृत्यु होने पर उक्त नामान्तकरण मेवा देवी के विधिक कानूनी वारिसान के नाम नहीं होकर नागरमल की दूसरी पत्नि ऑची देवी के नाम खोला जाना रिकार्ड से प्रमाणित होता है तथा अपीलान्ट द्वारा ऑची देवी को आवश्यक पक्षकार रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 बनाया जाना रिकार्ड से स्पष्ट होने से उक्त प्रकरण को पूर्ण रूपेण शुद्ध हस्त से न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.20 15:51:08 IST
Reason: SelfAttested

05/01/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सर्वप्रथम अपील दायरी में हुई देरी के कम में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। चूंकि प्रकरण पुश्तैनी सम्पति भूमि के विधिक अधिकारों से संबंधित है। अतः न्यायहित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा (कन्डोन) कर प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2032–2035, 2066–2069, नामान्तकरण संख्या 404, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनका अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 में खसरा नम्बर 864 की खातेदारी मेवा पत्नी नागरमल कोम महाजन सा. देह के नाम रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें खातेदार मेवा पत्नी नागरमल के फौत होने पर उक्त भूमि विरासत से जरिये नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 30.06.1976 के द्वारा ऑची देवी पत्नि नागरमल कौम महाजन सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जबकि पत्रावली पर प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार मेवा देवी पत्नि नागरमल के फौत होने पर मेवा देवी के कानूनी वारिसान् में राजेन्द्र कुमार–पुत्र, पिस्ता देवी–पुत्री, बुलबुल देवी–पुत्री का होना प्रकट होता है। जो अपील नामान्तकरण में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स संख्या 5 व 6 दर्ज रिकार्ड है। जिसके अनुसार मेवा देवी पत्नि नागरमल व ऑची देवी पत्नि नागरमल दोनों एक ही व्यक्ति नागरमल की पत्नियॉ होना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जिसमें मेवा देवी नागरमल की प्रथम पत्नि व ऑची देवी नागरमल की दूसरी पत्नि होना प्रकट होता है। मेवा देवी के कानूनी वारिसान् अपीलान्ट राजेन्द्र कुमार व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.20 15:01:08 IST
Reason: SelfAttested

05/01/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

संख्या 5 पिस्ता देवी व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 6 बुलबुल देवी के होने के बावजूद ऑची देवी पत्नि नागरमल के नाम विरासत का नामान्तकरण खोला जाना विधि विरूद्ध प्रकट होता है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तरण में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। जिसके आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत थोई पचांयत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 30.06.1976 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को उसके विधिक हक हिस्से की खातेदारी अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाती है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत थोई पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 404 स्वीकृत दिनांक 30.06.1976 को अपास्त किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 844, 848, 849 कुल किता 3 कुल रकबा 0.22 हैक्टर अवस्थित तन् राजस्व ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में मृत्तक मेवा देवी की खातेदारी विरासतन अपीलान्ट राजेन्द्र कुमार पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 पिस्ता देवी व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 बुलबुल देवी पुत्री नागरमल समस्त जाति महाजन निवासीगण थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.20 15:31:08 IST
Reason: SelfAttested

05/01/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

राज0 के नाम अंकित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.20 15:51:08 IST
Reason: SelfAttested